जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, शोध सहायक संवर्ग नियमावली।

झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग, अधिसूचना संख्या:-   राँची, दिनांक:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल झारखण्ड राज्य के जल संसाधन विभाग अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्थापना के शोध सहायक संवर्ग के कर्मियो के लिए, भर्ती, प्रोन्नति सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

अध्याय-1
प्रारंभिक

1:- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

i- यह नियमावली झारखण्ड जल संसाधन विभाग, शोध सहायक संवर्ग नियमावली-2012 कहलाएगी।

ii- यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगी।

iii- यह तुरंत प्रवृत होगी।

2:- परिभाषा:-

i- राज्य से अभिप्रेत है "झारखंड राज्य"

ii- विभाग से अभिप्रेत है "जल संसाधन विभाग"

iii- नियमावली से अभिप्रेत है, शोध सहायक संवर्ग नियमावली।

iv- संवर्ग से अभिप्रेत है- "शोध सहायक संवर्ग"

v- नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है - सचिव, जल संसाधन विभाग।

vi- आयोग से अभिप्रेत है- झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा घोषित/निर्मित, इस प्रयोजनार्थ संस्था।

vii- सदस्य से अभिप्रेत है शोध सहायक संवर्ग के अन्तर्गत शोध सहायक, शोध पदाधिकारी एवं उप निदेशक (वै0) के पद पर समाविष्ट सदस्य।

viii- मेधा सूची से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के मेधा क्रमानुसार सूची।

3:- संवर्ग के प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी हो जितनी नियमावली के लागू होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गयी हो तथा उनके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

अध्याय-2
भर्ती/नियुक्ति

4- इस संवर्ग में नियुक्ति अधिकारी, विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग, होगें।

5- रिक्तियों का नियतीकरण-प्रत्येक पंचांग वर्ष के 31 दिसम्बर तक सीधी भर्ती के साथ-साथ प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों का आकलन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

6- (क) पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण-झारखण्ड सरकार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा घोषित अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं आदर्श आरक्षण बिन्दु के अनुसार आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि में बिन्दुवार पदों पर आरक्षण प्रभावी करते हुए रिक्ति का आकलन किया जायगा तथा आरक्षण नीति नियुक्ति एवं प्रोन्नति दोनों पर लागू होगा।

अध्याय–3

सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति

7– सीधी नियुक्ति की प्रक्रियाः– शोध सहायक के स्वीकृत बल के सभी पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति किया जायेगा।

8– सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

(क) शोध सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

i– स्नातक विज्ञान, रसायन विषय के साथ एवं समकक्ष।

(ख) उम्र– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित उच्चतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा।

9– रिक्ति का संसूचन– प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटिवार कुल रिक्तियाँ विभाग द्वारा गणणा की जायेगी तथा सभी उपलब्ध रिक्तियों को विभाग में संकलित कर कुल रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार आयोग को संसूचित की जायेगी।

10– आयोग द्वारा अभ्यर्थियो की अनुशंसाः– आयोग लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार योग्यता क्रम के अनुसार सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गयी सूची में से आयोग उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को करेंगे जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी हों।

11– परीक्षा का विषयः–

i– हिन्दी–100 अंक

(व्याकरण–25 अंक, निबंध–25 अंक, संक्षेपण–25 अंक एवं हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद अथवा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद–25 अंक)

ii– सामान्य ज्ञान–100 अंक

iii– रसायन विज्ञान (स्नातक विज्ञान के पास कोर्स के स्तर का)–200 अंक

iv– गणित–100 अंक (मैट्रिक स्तर का)

v– अंग्रेजी–100 अंक (व्याकरण–40, निबंध–30 एवं संप्रेषण–30)

अध्याय–4

शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

12– सभी शोध पदाधिकारी के पद पर शोध सहायक कें पद पर कार्यरत कर्मचारी से वरीयता सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

13– प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

i– शैक्षणिक योग्यता– स्नातक (विज्ञान) रसायन विषय के साथ।

14– प्रोन्नति हेतु कालावधिः– कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगा।

15– शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु समिति का गठन–

i– अध्यक्ष– विकास आयुक्त

ii– सदस्य– विभागीय सचिव

iii– सदस्य– अभियंता प्रमुख

iv सदस्य– विभागीय विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव(जो भी स्थापना प्रभारी हो)

v– सदस्य– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी।

16– प्रोन्नति की शक्तिः– प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात विभागीय सचिव, शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दे सकेंगे।

17— प्रोन्नति की प्रक्रियाः— प्रोन्नति हेतु अहर्त्ता प्राप्त शोध सहायक को उनके स्वच्छ गोपनीय चारित्री एवं स्वच्छ सेवा इतिहास के आधार पर शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त शोध सहायक को प्रोन्नति दी जा सकेगी।

अध्याय—5

उप निदेशक (वै॰) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

18— सभी उप निदेशक (वै॰) के पद पर शोध पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों को वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

19— प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः—

i— शैक्षणिक योग्यता—स्नातक(विज्ञान) रसायन विषय के साथ।

20— प्रोन्नति हेतु कालावधिः— कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगा।

21— उप निदेशक (वैज्ञा॰) के पद पर प्रोन्नति हेतु समिति का गठन—

i— अध्यक्ष— विकास आयुक्त

ii— सदस्य— विभागीय सचिव

iii— सदस्य— सदस्य— विभागीय विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव।

iv— सदस्य— अभियंता प्रमुख

v— सदस्य— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी।

22— प्रोन्नति की शक्तिः— प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत, विभागीय सचिव, उप निदेशक (वैज्ञा॰) के पद पर प्रोन्नति दे सकेंगे।

23. प्रोन्नति की प्रक्रियाः— प्रोन्नति हेतु अहर्त्ता प्राप्त शोध पदाधिकारी की स्वच्छ गोपनीय चारित्री एवं स्वच्छ सेवा इतिहास के आधार पर निदेशक (वैज्ञा॰) के पद पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त शोध पदाधिकारी को प्रोन्नति दी जा सकेगी।

अध्याय—6

विभागीय कार्यवाही/दण्ड की शक्ति एवं प्रक्रिया

24— सिविल सर्विस (क्लासीफीकेशन, कंट्रोल एवं अपील) रूल—1930 एवं बिहार एवं उडीसा सर्वोडिनेट सर्विस (डिसिप्लीन एवं अपील) रूल—1935 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही एवं दण्ड दिया जा सकेगा।

अध्याय—7

वरीयता का निर्धारण

25— कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं अनुदेशों के आलोक में वरीयता निर्धारित होगी।

अध्याय—8

सम्पुष्टि

26— संवर्ग के सदस्यों की सम्पुष्टि उपर्युक्त समेकित सूची एवं संतोषजनक परिक्ष्यमान अवधि के आधार पर की जायेगी।

अध्याय–9

स्वीकृत बल का विवरण

27–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत बल
1	2	3	4
1	शोध सहायक	9300–34800 ग्रेड पे–4200	48
2	शोध पदाधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4600	12
3	उप निदेशक वैज्ञानिक	15600–39100 ग्रेड पे–6600	04

28– परिक्ष्यमान अवधि– शोध सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारी का दो वर्ष का परीक्ष्यमान अवधि होगी।

29– निरसन एवं व्यावृत्ति– सरकार के पूर्ववर्त्ती आदेश या नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकुल होते हुए भी शोध सहायक संवर्ग गठित किया गया है।

यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि संवर्ग में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्त्तो से संबंधित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है, तो वह उस मामले में प्रयोज्य नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपने आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्त्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह न्यायोचित तथा साम्योचित रीति से मामले का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे, अनुपयुक्त या शिथिल कर सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(एस॰के॰ सतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–4 / स्था॰ज॰स॰–34 / 2009–5870 राँची, दिनांक– 15-10-12

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ और इस विभाग को 500(पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(एस॰के॰ सतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।